:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– अनील कुमार

मूकदमा नम्बर 15/18 राजस्व वाद

1. रमेश पिता नानजी मीणा
2. कंकु पत्नी रमेश मीणा निवासी भीलवापंचेला तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

वादी

बनाम

1 श्री लक्ष्मण पिता मेंगा रोत
2 श्री मुकेश पिता लक्ष्मण रोत जाति मीणा
3 दिलीप पिता लक्ष्मण रोत जाति मीणा
4 गोरर्धन पिता लक्ष्मण रोत जाति मीणा निवासीयान भीलवापंचेला तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज
5 श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री श्रवण रावल अधिवक्ता वादी
2. श्री इन्दुलाल पाटीदार अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 188, 92ए,209, राज.टि.एक्ट सपठित धारा 151 जा.दी

:: निर्णय ::

दिनांक 15/04/2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि गॉव भीलवापंचेला के खसरा सख्या 2438/1620 का रकबा 2 बीघा भूमि वं खसरा सख्या 2379/1620 का रकबा 1.10 बीघा भूमि है,जिसमें प्रतिवादीगण अतिक्रमण करने की धमकीया दे रहे है,अतः प्रतिवादीगण सख्या 1 से 4 के खिलाफ इस बात की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की भूमि जिका वर्णन बाद के कोलम सख्या 3 में

किया है पर वादी के कब्जे काश्त कार्य में रूकावट पैदा न करे वादी को तंग परेशान न करे, वादीगण तथा उनके परिवार को वादग्रस्त आराजी में बूवाई–जूताई करने में तग परेशान व्यवधान पैदा नहीं करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि:– वादी जिस आराजी के संबध में दादरसी चाहता है उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण काबीज होकर काश्त कारते आ रहे है, वादी एवं प्रतिवादीगण दोनो को भूमि आवटन की गई है, जिसमें मुल विवाद नक्षे में तरमीम का पाया गया है।

उभयपक्ष के अभीवचन के आधार पर विवादक बिन्दू विरचित किए गए कि:–

1. यह कि वादीगण वाके ग्राम भिलवापंचेला के खसरा सख्या 2438/1620 का रकबा 2 बीघा एवं खसरा सख्या 2379/1620 का रकबा 1.10 बीघा जो कि वादी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है उस पर प्रतिवादीगण जबरन अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने से उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।
2. यह कि वादी के पूर्व में आवटीत भूमि पर काबीज नही होकर प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर जबारान कब्जा काश्त करने में उतारू होने से उक्त भूमि प्राप्त करने का हकदार है।

दोनो विवादक एवं प्रत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि दोनो पक्षो को वादग्रस्त आराजी आवटन हुई है, तथा आवंटन की तरमीम सही नहीं होने से विवाद की स्थिती बनी हुई है, ऐसे में वादी की वादग्रस्त आराजी का नक्से में तरमीम जहॉ वादीगण काबीज है किया जाना न्यायोचित है जिससे विवाद का स्थाई निराकरण हो सके एवं वाद की बाहुलयता को रोका जा सके।

कियात्मक आदेश

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी मे वादीगण के कबजे काश्त में व्यवधान पेदा नहीं करे ना ही अन्य के माध्यम से करावे। वादग्रस्त आराजी गॉव भीलवापंचेला के खसरा सख्या 2438/1620 का रकबा 2 बीघा भूमि वं खसरा सख्या 2379/1620 का रकबा 1.10 बीघा भूमि की पूर्व में नक्षे में की गई तरमीम को निरस्त कर नई तरमीम जहॉ वादीगण काबीज होकर काश्त करते है, की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आज दिनांक 15.4.2021 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
15/4